



क्रमांक:- मअ/मसुसके /2021/451

संक्षिप्त विज्ञप्ति

पुलिस जिला जालोर के जिला मुख्यालय पर महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र के संचालन हेतु महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र नियमन एवं अनुदान योजना अधिसूचना (संशोधन) 2017 के नियम 6 के अनुसरण में नियम 7 में वर्णित पात्रताधारी गैर-शासकीय संस्थाओं से एतद् द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 22.03.2021 सांयकाल 6:00 बजे तक सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, जालोर के कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। जिसका प्रारूप पात्रता की शर्तें तथा अधिसूचना विभागीय वेबसाईट WWW.WCD.RAJASTHAN.GOV.IN से डाउनलोड किये जा सकते हैं अथवा जानकारी के लिये सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, जालोर से किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में सम्पर्क किया जाकर प्राप्त की जा सकती है।

सहायक निदेशक  
महिला अधिकारिता विभाग, जालोर

क्रमांक:- मअ/मसुसके /2021/452-458

दिनांक:- 10/3/2021

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्रीमान निदेशक महोदया, निदेशालय महिला अधिकारिता, राज. जयपुर
2. श्रीमान निदेशक महोदय, जनसंपर्क विभाग, राज. जयपुर को भेजकर निवेदन हैं कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राज्य के किसी एक प्रमुख समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का श्रम करावें।
3. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, जालोर
4. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जालोर
5. श्रीमान उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, जालोर
6. प्रोगामर, महिला अधिकारिता, राजस्थान जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
7. कार्यालय नोटिस बोर्ड चस्पा हेतु

सहायक निदेशक  
महिला अधिकारिता विभाग, जालोर